प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1416-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-2-14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह म0प्र0 प्र0क्र0 78/अ-5/12-13.

डायमण्ड सामेन्टस प्रो0
हाइडेलबर्ग सामेंट इण्डिया लिमि0
साकिन नरसिंहगढ जिला दमोह म0प्र0 -- आवेदक

विरूद्ध

1- विजई कुर्मी पिता छोटेलाल कुर्मी
निवासी ग्राम सतपारा तहसील पथरिया
जिला दमोह म0प्र0 अन्य-1 --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1416/111/2014 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

17.6.14

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह व्दारा प्रकरण कमांक 78 अ 5/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–2–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के अनुसार अनावेदक क–1 तिजई पुत्र छोटेलाल कुर्मी निवासी ग्राम सतपारा ने आवेदक के विरूद्व तहसीलदार पथरिया व्दारा प्रकरण कमांक 56 अ 6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 11–6–13 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की थी जो विलम्ब से थी। विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया गया, और विलम्ब के समुचित व पर्याप्त कारण न होना बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी से अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन निरस्त करने की मांग की गई, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में भूल की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24–2–14 के विरूद्व निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जावे।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ने अंतरिम आदेश दिनांक 24–2–14 से उनके

समक्ष प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा करने की त्रृटि की है ?

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है– उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959(म.प्र.) –धारा 47 – सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24–2–14 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने अनावेदक कमांक 1 की ओर से अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये कारण समाधानप्रद पाने के आधार पर विलम्ब क्षमा करने में त्रृटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह व्दारा प्रकरण कमांक 78 अ 5/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–2–14 स्थिर रहता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य